

इंटरनेट शटडाउन का प्रभाव

प्रलिमिस के लिये:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR), #KEEPITON गठबंधन, विश्व बैंक।

मेन्स के लिये:

इंटरनेट शटडाउन और उसके नहितारथ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय \(OHCHR\)](#) द्वारा इंटरनेट शटडाउन नामक एक रपोर्ट प्रकाशित की गई: जसिमें इसके सुझान, कारण, कानूनी नहितारथ और मानवाधिकारों पर प्रभाव, वर्णित हैं तथा कहा गया है कि इंटरनेट बंद करने से लोगों की सुरक्षा और कल्याण प्रभावित होता है, सूचना प्रवाह में बाधा आती है और अरथव्यवस्था को क्षतिप्रहृती है।

इंटरनेट शटडाउन:

- परचियः
 - इंटरनेट शटडाउन के उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब नागरिक अशांतिकी स्थिति होती है, ताकि सरकारी कार्रवाइयों के संबंध में सूचनाओं के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा सके।
 - शटडाउन में अक्सर इंटरनेट कनेक्टिविटी या प्रभावित सेवाओं की पहुँच को पूरणतः प्रतिबंधित किया जाता है। हालाँकि सरकारें तेज़ी से बैंडविड्थ को कम करने या मोबाइल सेवा को 2G तक सीमित करने का सहारा लेती हैं, जो नाममात्र की पहुँच बनाए रखते हुए इंटरनेट का सारथक उपयोग करना बेहद मुश्किल बना देती है।
 - दुनिया भर की सरकारों ने कई कारणों का हवाला देते हुए इंटरनेट को बंद करने का सहारा लिया है
 - इसके अलावा वीडियो, लाइव प्रसारण और अन्य पत्रकारता कार्यों को साझा करना तथा देखना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें अक्सर नागरिक समाज आंदोलनों, सुरक्षा उपायों के साथ-साथ चुनावी कार्रवाही के दौरान आदेश दिया जाता है और मानवाधिकारों की निगरानी व रपोर्टिंग को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है।
- संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे:
 - इंटरनेट शटडाउन कई मानवाधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, साथ ही यह अभियक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक समाजों की नीव में से एक व्यक्तिकी पूर्ण विकास के लिये अनिवार्य शर्त की जानकारी तक पहुँच को त्वरित रूप से प्रभावित करता है।
 - यह नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और अन्य मानवाधिकार उपकरणों (अरथात् [मानवाधिकारों की सारभौमिक घोषणा](#)) पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में गारंटीकृत अन्य सभी अधिकारों के लिये एक मानदंड है।
 - [सतत विकास लक्ष्य](#) अन्यायपूरण प्रतिबंधों से मुक्त, सारभौमिक रूप से उपलब्ध और सुलभ इंटरनेट द्वारा कार्य करने के लिये राज्यों के मानवाधिकार दायित्वों को सुदृढ़ करते हैं।
 - संचार नेटवरक में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिये स्थापित, [अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ](#) (ITU) मानकों को अपनाने पर कार्य करता है जो सुनिश्चित करता है कि नेटवरक और प्रौद्योगिकियाँ आपस में जुड़ती हैं तथा इंटरनेट तक पहुँच में सुधार करने का प्रयास करती हैं।

प्रमुख निषिकरण:

- वैश्विक परावृत्तिः
 - दुनिया का ध्यान खीचने वाला पहला बड़ा इंटरनेट शटडाउन वर्ष 2011 में मसिर में हुआ था और इसके साथ ही सैकड़ों गरिफ्तारियाँ और हत्याएँ भी हुई थीं।
 - #कीपइटऑन गठबंधन ([#KeepItOn coalition](#)), जो दुनिया भर में इंटरनेट शटडाउन एप्सिड की निगरानी करता है, द्वारा वर्ष

2016-2021 तक 74 देशों में 931 शटडाउन का दस्तावेजीकरण किया गया।

- उस अवधि के दौरान 12 देशों द्वारा 10 से अधिक शटडाउन लागू किये गए। वैश्वकि स्तर पर सभी क्षेत्रों में कई शटडाउन का सामना किया गया है, लेकिन अधिकांश रपोर्ट एशिया और अफ्रीका में हुई है।
- नागरिक समाज समूहों द्वारा दर्ज किये गए शटडाउन में से 132 को आधिकारिक तौर पर अभद्र भाषा, दुष्प्रचार या अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री के अन्य रूपों के प्रसार को नियंत्रित करने की आवश्यकता द्वारा उचित ठहराया गया था।

■ भारतीय परदृश्यः

- भारत ने इंटरनेट कनेक्शन को 106 बार अवरुद्ध या बाधित किया तथा भारत के कम-से-कम 85 इंटरनेट शटडाउन एप्सिओड जम्मू और कश्मीर में हुए।
- नागरिक समाज समूहों द्वारा वर्ष 2016-2021 तक दर्ज किये गए सभी शटडाउन में से लगभग आधे को वरीधि और राजनीतिक संकटों के संदर्भ में किया गया था, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक शक्तियों की एक विशाल शृंखला से संबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनों के दौरान 225 शटडाउन दर्ज किये गए थे।

■ चुनाव के दौरान शटडाउनः

- यह डिजिटल उपकरणों तक पहुँच को समाप्त करता है जो चुनाव प्रचार, सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने, मतदान करने और चुनावी प्रकरणों की देख-रेख के लिये महत्वपूर्ण हैं।
- अकेले वर्ष 2019 में 14 अफ्रीकी देशों ने चुनावी अवधि के दौरान इंटरनेट तक पहुँच को बाधित कर दिया।
- ये व्यवधान नष्टिकृप पत्रकारों और मीडिया के काम को सामान्य रूप से बाधित करते हैं। युगांडा में शटडाउन ने हसिक दमनकारी उपायों की रपोर्टों के बीच वर्ष 2021 में चुनावों के मीडिया कवरेज को कमज़ोर कर दिया।
- चुनावी अवधि के दौरान वरीधि के बाद शटडाउन बेलारूस और नाइजर जैसे देशों में भी रपोर्ट किये गए थे।

■ इंटरनेट शटडाउन का प्रभावः

- आर्थिक गतिविधियों पर: यह सभी क्षेत्रों के लिये बड़ी आर्थिक लागत का कारण बनता है, वित्तीय लेनदेन, वाणिज्य और उद्योग को बाधित करता है।

• [विश्व बैंक](#) ने हाल ही में गणना की है कि अकेले म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन की लागत फरवरी-दसिंबर 2021 से लगभग 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो पछिले दशक में हुई आर्थिक प्रगतियों को उलट देती है।

- शक्षिया पर: यह सीखने के परिणामों को कमज़ोर करता है और शक्षिकाओं, स्कूल प्रशासकों, प्रविहारों के बीच शक्षिया योजना एवं संचार में हस्तक्षेप करता है।

◦ स्वास्थ्य और मानवीय सहायता तक पहुँच पर:

• अध्ययनों ने स्वास्थ्य परिणामों पर शटडाउन के महत्वपूर्ण प्रभावों को दिखाया है, जिसमें तत्काल चिकित्सा देखभाल जुटाना, आवश्यक दवाओं की डिलीवरी और उपकरणों के रखरखाव में बाधा डालना, चिकित्सा कर्मसूलों के बीच स्वास्थ्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सीमित करना और आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बाधित करना शामिल है।

• सहायता प्रदान करने के लिये मानवीय अभिक्रत्ताओं की क्षमता पर इंटरनेट शटडाउन का गहरा प्रभाव पड़ता है। आपूरतविवस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिये महत्वपूर्ण सूचना के प्रवाह को बाधित किया जा सकता है।

- म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन ने कथित तौर पर स्थानीय सहायता संगठनों को संकट में डाल दिया, क्योंकि इसने उन्हें धन मांगने और प्राप्त करने से रोका था।

इंटरनेट शटडाउन हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दशिा-निर्देशः

- जैसा कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि इंटरनेट शटडाउन भारतीय संवधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करता है। यह एक उचित प्रतिबिधि के रूप में कार्य करता है और इसे केवल तभी अधिनियमति किया जाना चाहिये जब सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये कोई वास्तविक खतरा हो। कुछ संतुलन परीक्षण किये जाने चाहिये तथा केवल अत्यधिक आवश्यक होने पर ही सरकार को इस अत्यंत प्रतिबिधात्मक कदम का प्रयोग करना चाहिये।

आगे की राह

- रपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट शटडाउन की अधिक आवृत्ति की प्रवृत्ति को रोकने में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक उपायों और उनके प्रभावों की सीमित दृश्यता है।
- रपोर्ट में राज्यों से शटडाउन से परहेज करने, इंटरनेट पहुँच को अधिकतम करने और संचार के रास्ते में कई बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया गया है।
- इसने कंपनियों से व्यवधानों पर सूचनाओं को तेज़ी से साझा करने और यह सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया कि वे शटडाउन को रोकने के लिये सभी संभव कानूनी उपाय करें जिन्हें उन्हें लागू करने के लिये कहा गया है।
- शटडाउन डिजिटल डिवाइड को कम करने के प्रयासों, तवरति आर्थिक और सामाजिक विकास के बादे को कमज़ोर करते हैं, जिससे सतत् विकास लक्ष्यों की उपलब्धिको खतरा होगा।

स्रोतः डाउन टू अर्थ

